


चौहानसिंह विरुद्ध रामरती बाई

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग02616-दो/14

जिला - सीहोर

न तथा क्रमांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
५-४-१५	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण धारा 250 का है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध कर पक्षकारों को आहूत किया है जो कि उनके क्षेत्राधिकार में है । इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षण में कोई ऐसी वैधानिक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है जिसके आधार पर प्रकरण में हस्तक्षेप किया जा सके । दर्शित स्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	<p style="text-align: right;"> (एम.के.सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म.प्र., ग्वालियर</p>



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रा.अपील क्रमांक 2616-II/2014

1. चौहान सिंह आत्मज श्री मंगल सिंह आयु वयस्क
 2. पोहपसिंह आत्मज श्री मंगल सिंह आयु वयस्क
- निवासीगण ग्राम बकतरा तहसील बुधनी
जिला-सीहोर।

.....निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

1. श्रीमती रामरतिबाई पत्नी श्री लालसिंह पटेल
कृषक-कोशमी निवासी-बकतरा तहसील बुधनी
जिला-सीहोर।
2. मध्यप्रदेश शासन

.....उत्तरदातागण

श्री गुरुदास सिंह
वकील
क.डी.7-14
बकतरा
मध्यप्रदेश

26/7/14